1

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक: प. 10(1)शिक्षा–1/2002 जयपुर, दिनांक 27·12·04

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
उत्तर क्षेत्रीय समिति,
ए–46, शान्ति पथ, तिलक नगर,
जयपुर।

विषय:– बी.एड./शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु सत्र 2005–06 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि संलग्न सूची अनुसार संस्थाओं को बी.एड./शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रत्येक को 100 सीटों के लिए वर्ष 2005–06 के लिए निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :–

शर्तें :–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्णतः अस्थायी जारी किया जाता है। यह अस्थायी प्रमाण पत्र बालिका शिक्षा फाउण्डेशन कोष में रू. 10,000/– जमा कराने पर ही मान्य होगा।
2. आगामी सत्र 2006–07 के लिए विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वृद्धि किये जाने के पश्चात ही महाविद्यालय में प्रवेश लिये जा सकेंगे।
3. प्रशिक्षण महाविद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ही अध्ययन करवाया जायेगा।
4. संस्थान राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत रजिस्ट्रर्ड अधिनियम में निर्धारित किसी भी नियम/उपनियम की अवहेलना करने पर महाविद्यालय को प्रदत्त अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश पी.टी.ई.टी. के माध्यम से निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही होगा।
6. संस्थान के नियमों में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने अथवा मैनेजमेन्ट आदि में परिवर्तन होने पर विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा।
7. संस्थान द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रत्येक संबंधित रिकार्ड का विधिवत संधारण आवश्यक होगा।
8. महाविद्यालय को नियमानुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले शत–प्रतिशत स्टाफ को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चयन समिति के अनुसार नियुक्त करने होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला देय होगी। वेतन चैक पद्धति से देय होगा।
9. स्टाफ की नियुक्ति के साक्षात्कार में विभागीय प्रतिनिधि उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा का उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा इस शर्त का निश्चित रूप से पालन किया जाना है।
10. प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए अकादमिक भवन व छात्रावास हेतु पूर्ण रूप से सुज्जित भवन पृथक–पृथक होना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से अकादमिक भवन में दो कक्षा कक्ष, हॉल, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला एवं स्टाफ कक्ष का होना आवश्यक होगा।
11. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, नल, बिजली, शौचालय, खेलकूद आदि के मैदान व अन्य साज समान की पर्याप्त व्यवस्था होना अनिवार्य होगा। पुस्तकालय में अच्छी पाठ्यपुस्तकें एवं सन्दर्भ पुस्तकें अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जावें। साथ ही

12. प्रशिक्षण महाविद्यालय की जिस नाम से व जिस स्थान के लिए स्वीकृति दी गई है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
13. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रकिया हेतु निर्धारित एजेन्सी से सम्पर्क किया जावें।
14. विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा।
15. मैनेजमैन्ट हेतु पृथक से सीटों का कोई आरक्षण नहीं होगा।
16. भवन सुरक्षा का प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त कर तत्काल प्रस्तुत करना होगा तथा हर तीन वर्ष पश्चात उसका नवीनीकरण करना होगा।
17. शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक सक्षम अधिकारी संस्थान व महाविद्यालय के रिकार्ड का किसी भी समय आवश्यकता पडने पर निरीक्षण कर सकेगा।
18. प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु निर्धारित रिजर्व फण्ड में एक लाख रू. की राशि संबंधित विश्वविद्यालय एवं संस्था के खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस शर्त की पूर्ति किये बिना महाविद्यालय में प्रवेश देय नहीं होंगे।
19. कभी भी आवश्यकता पडने पर रिजर्व फण्ड की राशि का उपयोग करने हेतु विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
20. एनसीटीई से मान्यता पश्चात सहशिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए संस्था द्वारा स्वंय के नाम से 10 लाख रू. की राशि 5 वर्ष के लिए स्थायी जमा (एफ.डी.) की जावेंगी। महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने हेतु स्थायी जमा राशि 5 लाख रू. होगी। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात इसका नवीनीकरण कराया जायेगा। विभाग की स्वीकृति पश्चात ही स्थायी जमा राशि ही निकाली जा सकेगी।
21. कभी भी आवश्यकता पडने पर रिजर्व फण्ड की राशि का उपयोग करने हेतु विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
22. राज्य सरकार की ओर से इस हेतु किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।
23. बीएड हेतु भवन छात्रावास एवं स्टाफ एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार रखना होगा।
24. आवश्यकतानुसार श्रृव्य–दृव्य सामग्री उपलब्ध करवाई जावें।
25. विज्ञान एवं मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं का निर्माण एवं सुसज्जित किया जावें।
26. प्रशिक्षण महाविद्यालय से सम्बद्व डिमोट्रेशन विद्यालय की व्यवस्था संस्था द्वारा की जावेगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 27/12/04

(एस. के. अग्रवाल)
उपशासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री / शिक्षा राज्य मंत्री / प्रमुख शासन सचिव
3. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
7. संबंधित संस्था
8. रक्षित पत्रावली

विशेषाधिकारी–शिक्षा

142.		माँ कस्तूरबा शिक्षक-शिक्षक महाविद्यालय सावरमाता चित्तौड़	सहशिक्षा	बी.एड.	100 सीटे
143.		भगवती महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चित्तौड़	महिला	बी.एड.	100 सीटे
144.		श्री नाथ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चित्तौड़	सहशिक्षा	बी0एड.	100 सीटे
145.		मेवाड़ गर्ल्स कालेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर चित्तौड़	महिला	बी.एड.	100 सीटे
146.		मीरा महिला बी.एड. कालेज चित्तौड़	महिला	बी.एड.	100 सीटे
147.		आदित्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चित्तौड़गढ़	सहशिक्षा	शिक्षाशास्त्री	100 सीटे
148.		महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चित्तौड़	महिला	बी.एड.	100 सीटे
149.	राजसमन्द	मीरा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय राजसमन्द	महिला	बी.एड.	100 सीटे
150.		विनायक महिला बी.एड. कालेज राजसमन्द	महिला	बी0.एड	100 सीटे
151.		महाबलिदानी पन्नाधाय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देलवाड़ा राजसमन्द	महिला	बी.एड.	100 सीटे
152.		श्री हिम्मतसिंह हिंगड़ महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय राजसमन्द	महिला	बी.एड.	100 सीटे
153.		महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कांकरोली राजसमन्द	महिला	बी.एड.	100 सीटे
154.	डूंगरपुर	एम.बी. महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डूंगरपुर	महिला	बी.एड.	100 सीटे
155.	बांसवाड़ा	महात्मा गांधी बी.एड. कालेज टिम्बा गामड़ी रतलाम रोड बांसवाड़ा	सहशिक्षा	बी.एड.	100 सीटे
156.		नवदिशा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डूंगरपुर, बांसवाड़ा	महिला	बी.एड.	100 सीटे

...केशन बो...